न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः– 22/2026

श्री ऋषि सुलतानिया, फ्लेट 002, ए विंग, बिल्डिंग 55, राधिका सी0एच0एस0 लिमिटेड, गोकुलधाम, गोरेगांव वेस्ट, पिन कोड 400063, मो0न0 7023951335

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 23.02.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 22/2026 पर दिनांक 21.01.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/215–216 दिनांक 21.01.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक सू0अ0/2025/13 दिनांक 03.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट है। आवेदन मे कहीं पर स्पष्ट उल्लेख नही है कि प्रार्थी किस प्रकार की प्रतिलिपि चाहता है। प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है कि आप अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय हाजा मे किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे के मध्य उपस्थित होकर रिकार्ड आदि का अवलोकन कर चिन्हित करे तथा चिन्हित दस्तावेजों की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र (नियम 218) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक सू0अ0/2025/13 दिनांक 03.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट है। आवेदन मे कहीं पर स्पष्ट उल्लेख नही है कि प्रार्थी किस प्रकार की प्रतिलिपि चाहता है। प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है कि आप अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय हाजा मे किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे के मध्य उपस्थित होकर रिकार्ड आदि का अवलोकन कर चिन्हित करे तथा चिन्हित दस्तावेजों की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र (नियम 218) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर सकते है। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट है जिसके संबंध मे प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 23.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं